कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,जिला भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक / 265 /अजिंद / 2021 भोपाल,दिनांक 02 / 05 / 2021

/ / आदेश / /

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

कार्यालयीन आदेश कंमाक 253–254 / अजिद / 2021 दिनॉक 25.04.2021 के द्वारा भोपाल नगर निगम क्षेत्र व बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में दिनॉक 26.04.2021 को प्रातः 06.00 बजे से सोमवार दिनॉक 03.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कफर्यू लागू किया गया था। जिला भोपाल में कोरोना के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिकों के कोरोना संकमण से बचाव एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए **मै, अविनाश लवानिया,कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जिला भोपाल** दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग मे लाते हुये उक्त कोरोना कफ्र्यू को आगे बढ़ाते हुए दिनॉक 03.05.2021 को प्रातः 06.00 बजे से दिनॉक 10.05.2021 को प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कफर्यू लागू किये जाने का आदेश पारित करता हूँ ।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है । चूँकि वर्तमान मे मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा,अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा । इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश दिनॉक 02.05.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(अविनाश लवानिया)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला भोपाल